

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
कार्यालय आदेश

संचिका सं०-पर्य०वि०सचि०-51/2008.....17.....

पटना, दिनांक..17.02.14

श्री राम किशोर मिश्र, बि०प्र०से०, संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग को पर्यटन विभाग हेतु मुख्य निगरानी पदाधिकारी नामित किया जाता है।

कार्यालय आदेश संख्या 92 दिनांक 28.11.2012 को रद्द किया जाता है।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पर्यटन का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

विशेष सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पर्य०वि०सचि०-51/2008.....471.....

पटना, दिनांक..17.02.14

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, पर्यटन/संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पर्य०वि०सचि०-51/2008.....471.....

पटना, दिनांक..17.02.14

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश को निगरानी विभाग के वेबसाइट पर डालने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

17.2.14

विशेष सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।